3557

)। ।।—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : नवम्बर 25, 2000/अग्रहायण 4, 1922

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2000

सा.का.नि. 471.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (फोरमैन) भर्ती नियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (फोरमैन) भर्ती नियम, 2000 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (फोरमैन) भर्ती नियम 1982 की ''अनुसूची'' के स्थान पर निम्नलिखित ''अनुसूची'' रखी जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची

पद का	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ण्येष्ठता	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फ	ायदा सीधे भर्ती, किए जाने वाले
नाम	संख्या			योग्यता के आधार	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन)) व्यक्तियों के लिए आयुसीम
				पर चयन	नियम, 1972 के नियम 30 है	र्क
				अथवा अचयन पद	अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
1	2	. 3	<u>4</u>	5	6	. 7
फोरमैन	16*	साधारण	5500-175-	अचयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन	द्रीय नहीं
	(2000)	केन्द्रीय सेवा	9,000/- 'ক.		सरकार द्वारा जारी किए गए उ	न्नुदेशों
	*कार्यभार	समूह ''ख''			या आदेशों के अनुसार सरका	री सेवकों
	के आधार	अराजपत्रित,			के लिए 5 वर्ष तक शिथिल व	ती जा
	पर परिवर्तन	अननुसचिषीय			सकती है।)	~
	किया जा				टिप्पण : आयु सीमा अवधारि	रंत करने
	सकता है।		_		के लिए निर्णायक तारीख भार	
			∢.		अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त व	रने के
					लिए नियत की गई अंतिम तार	ीख
					होगी। (न कि वह अंतिम तार	ोख)
					असम, मेघालय, अरुणाचल प्र	देश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	
					जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख	
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल औ	
			•		जिले तथा चम्बा-जिले के पांग	ੀ ਰਧ–
					खंड, अंदमान और निकोबार र	द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए	र विहित
		· .			की गई है)।	
			-			
ोधे भर्ती वि	कए जाने वाल	वं व्यक्तियों के	लिए	सीधे भर्ती :	—————————————————————————————————————	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	पेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				न आयु और शैक्षणिक अर्ह-	
					ष्यक्तियों की दशा में लागू	
				होंगी या नह	•	
	8				9	10
ओं के टर	बाइन पंपों, या	यताप्राप्त संस्था नों आदि की उ साथ, यांत्रिकी	नोवरहालिंग/मर	म्मत	नहीं ,	सीधे भूर्ती किए गए और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

जीनियरी में डिप्लोमा।

8

र्जाछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी/ऑटोमोबाइल/ विद्युत् इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।

टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यधियों को दशा में तब शिधिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यधियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्रति द्वौरा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
11	12		
(i) 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति :		
(ii) 50 प्रतिशत पद प्रोप्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती ्र द्वारा	ऐसे सहायक फोरमैन, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।		
13	14		
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे : (1) अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष (2) निदेशक, (प्रशासन) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य (3) अधीक्षण इंजीनियर केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य (4) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का एक — सदस्य अधिकारी जो कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।		

[फा. सं. 23/43/98-जी डब्ल्यू-I] आर. एल. टपरयाल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 298 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 30 मार्च, 1982 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 8th November, 2000

- G. S. R. 471—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board (Foreman) Recruitment Rules, 1982, namely:—
- (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Foreman) Recruitment (Amendment) Rules, 2000

Lakshadweep.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Central Ground Water Board (Foreman) Recruitment Rules, 1982, for the Schedule the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection cum-seniority or selection by merit or non- selection Post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) rule 1972.
1	2	3	4	5	6
Foreman	16*(2000) *Subject to variation dependent on work load.	General Central services group-'B' Non-Gazetted. Non-Ministerial	Rs. 5500-175- 9000.	Non-selection	No
Age limit for di	rect recruits	Educational and other	•	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not exceeding 35 years. (Relaxable—for—Government servants upto five (5) years in accordance—with the instructions or orders—isued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates except for those in Assam, Meghalaya. Arunachal Pradesh, Mizoram. Nagaland. Tripura, sikkim. Ladakh Division of ammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi subivision of Chamba district of limachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and		Electrical Engineer cognised Institute perience in overhal drilling rigs, deep pumps, submersible etc. Desirable: Degree in Mechan Electrical Engineer cognised University Note 1: Quification at the discretion of Commission in the	with 5 years ex- puling/repairing of p well turbine le pumps, vehicles lical/Automobile/ ring from a re- y or equivalent, ins are relaxable the Staff Selection c case of candidates lifted. fication(s) regard- re relaxable at the		Two years for direct recruits and promotees

mission/Competent authority in the case of candidates belonging to the

	-	X
[PART	II-SEC.	3(i)

10

THE GALETTE OF	FINDIA: NOVEMBER 25,	, 2000/AGRAHAYANA 4, 1922
----------------	----------------------	---------------------------

Scheduled Castes and Scheduled
Tribes, if at any stage of Selection,
the Staff Selection Commission/Competent authority is of the Opinion that
sufficient number of candidates from
these communities possessing the requisite experience are not likely to be
available to fill up the posts reserved
for them.

Method of recruitment whether by direct recruitment. In case of recruitment by promotion/depute

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

11

12

(i) 50% posts by direct recruitment.

Promotion: Assistant Foreman with three years regular

(ii) 50% posts by promotion failing which by direct recruitment.

service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.

13

14

Group 'B'—Departmental Promotion Committee consisting

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

- (i) Chairman, Central Ground Water Board-Chairman
- (ii) Director (Administration) Central Ground Water Board —Member
- (iii) Superintending Engineer Central Ground Water Board

-Member

(iv) An officer of another Central Government Department not below the rank of Executive Engineer —Member

[F. No. 23/43/98-GW-I]

R. L. TAPRYAL, Under Secy.

Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 20th March, 1982 vide Notification No. GSR 298.

नई दिल्ली, ९ नवम्बर, 2000

सा.का.नि. 472.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तकनीकी सहायक (भुभौतिकी) भर्ती नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- ं संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जैले बोर्ड ण्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) नियम, 2000 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) भर्ती नियम, 1972 की ''अनुसूची'' के स्थान पर निम्नलिखित ''अनुसूची'' रखी जाएगी अर्थात् :—

1	OM	
		_

for direct recruits	qualification	e and educational s prescribed for s will apply in the notces	Period of probation, if any
(8)		(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board/Institutions; and (ii) Two years experience in a Library	N	Not applicable Two Years.	
Method of recruitment; whether by direct recruitment or or by deputation/absorption and percentage of the validled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made		
(11)			(12)
100% by direct recruitment.	-	N	ot applicable
or long leave or study leave or under other circums duration of one year or more may be filled on deputa	tion from the		
-	tion from the ts on regular		
duration of one year or more may be filled on deputar officials of the Central Govt. holding analogous post passis and possessing the qualifications prescribed for	tion from the ts on regular direct recuits		nission is to be consulted in
duration of one year or more may be filled on deputar officials of the Central Govt. holding analogous possessis and possessing the qualifications prescribed for under column 8.	tion from the ts on regular direct recuits	Service Comn making recruit	es in which Union Public nission is to be consulted in ment 4)
duration of one year or more may be filled on deputar officials of the Central Govt. holding analogous possessis and possessing the qualifications prescribed for under column 8. (13) Group 'C' Departmental Promotion Committee exists, what is consisting of: 1. Chief Research Officer, Central Soil and Materials Research Station, Central Soil and Materials	tion from the ts on regular direct recuits its composition onfirmation	Service Comn making recruit (1	nission is to be consulted in
duration of one year or more may be filled on deputar officials of the Central Govt. holding analogous possessis and possessing the qualifications prescribed for under column 8. (13) Group 'C' Departmental Promotion Committee exists, what is consisting of: 1. Chief Research Officer, Central Soil and Materials Research Station, Central Soil and Materials	tion from the ts on regular direct recuits its composition	Service Comn making recruit (1	nission is to be consulted iment

DAULAT RAM MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 2010

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड तकनीकी प्रचालक (यांत्रिक) भर्ती नियम, 1990 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तकनीकी प्रचालक (यांत्रिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तकनीकी प्रचालक (यांत्रिक) भर्ती नियम, 1990 में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

				नुसूची ———	ALX CONT. II.	
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वंतन बैंड और ग्रेड वंतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी प्रचालक (यात्रिक)		साधारण कंन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपित्रत, अनुसचिवीय	वंतन बेंड-।, 5200—20200 रु. +ग्रेडवेतन, 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (कंन्द्रीय सरकार द्वारा समय-सम्पर जारी किए गए अनुदेशों या आदे के अनुसार सरकारी सेवकों के लि साधारण अम्पर्यियों की दशा में शिथि करके 40 वर्ष की जा सकती है अ अनुसूचित जातियों और अनुसूचि जनजातियों से संबंधित अध्यर्थियों व दशा में, शिथिल करके 45 वर्ष व जा सकती है । टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधाि करने के लिए निर्णायक तारीख भार में अम्पर्थियों से आवेदन प्राप्त कर के लिए नियत की गई अंतिम तारी होगी। (न कि वह ऑतम तारी होगी। (न कि वह ऑतम तारी जो असम, मेघालय, अरुणाच प्रदेश, मिजरम, मणपुर, नागालें सिक्कम, जम्मू-कश्मीर राज्य लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पीति जिले तथ चम्बा-जिले के पांगी उपखंड अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्व के अध्यर्थियों के लिए विहित की गहै।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों व पाध्यम से की जाने वाली मती व दशा में, आयु-सीमा अवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख वह अंति तारीख होगी जिस तक रोजग कार्यालयों से नाम भेजने के लि कहा गया है।
	जाने वाले व्यक्ति और अन्य अहंत		वि	हेत आयु औ	जाने वाले व्यक्तियों के र शैक्षिक अर्हताएं प्रोन या में लागू होंगी या नर्ह	नत यदि कोई हो
	(8)				9)	(10)
मतुल्य 1थ ही आटोमोव		बोर्ड से मैंट्रिकुलेश ल इंजीनियरी की ! प्रमाणपत्र ।		लागू नह	ीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्तित द्वारा या प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्तित सिमिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता ।
(i) कार्यपालक इंजीनियर	–अध्यक्ष
(ii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर	सदस्य
(iii) प्रशासनिक अधिकारी	–सदस्य

[फा. सं. 23/19/2009-सी.जी. डब्ल्यू. बी.] विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 278 दिनांक 4 अप्रैल, 1990 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 29, दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 के द्वारा संशोधित किये गये थे ।

New Delhi, the 29th June, 2010

- G. S. R. 112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board Technical Operator (Mechanical) Recruitment Rules, 1990, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board Technial Operator (Mechanical) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Ground Water Board Technical Operator (Mechanical) Recruitment Rules, 1990, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band and grade pay/pay scale		Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technical Operator (Mechanical)	31* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200—20200 plus grade pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servant upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case

(7)

of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and **[slands** Nicobar Lakshadweep.

Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential: Matriculation from a recognised Board or equivalent with Certificate from Industrial Training Institute in the grade of Automobile and Diesel Engineering	Not applicable	Two Years

Method of recruitment: Whether by direct record by deputation/absorption and percentage filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made (12)			
(11)				
Direct recruitment		Not applicable		
If a Departmental Promotion Committee exist	s, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(13)		(14)		
Group 'C' Departmental Promotion Committeensisting of:	Not applicable.			
(i) Executive Engineer	—Chairman			
(ii) Assistant Executive Engineer	Member			
(iii) Administrative Officer	Member			

[F. No. 23/19/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 278, dated the 4th April, 1990 and subsequently amended vide number G.S.R. 29, dated the 18 December, 2001.